राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2098/2014.....जिला.....जयपुर.....
उनवान–मैसर्स विशाल रिटेल लि., 1, लक्ष्मी निवास, अजमेर रोड, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, वृत्त–द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.2014	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्रीमति आशा कुमारी, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 17.11.2014 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, वृत्त–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24, 55 व 58 के तहत् पारित निर्धारण आदेश दिनांक 31.12.2013 में कायम की गयी मांग राशि रू.27,65,171/– के विरूद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान रू.11,80,350/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा बहस हेतु दिनांक 12.12.2014 को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि प्रकरण में दोहरे करारोपण के होने अथवा नही होने का महत्वपूर्ण विधिक बिन्दू निर्णयार्थ अन्तवर्लित है । अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार कर, रू.11,80,350/–की वसूली कार्यवाही पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है । रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।** अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 16.12.14. (आशा कुमारी) सदस्य 16.12.2014 (मदन लाल) सदस्य	